Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 13, Issue No. 1, April-2017, ISSN 2230-7540

भारत में बाल अधिकारों और मूल अधिकारों के प्रति जागरूक का अध्ययन

Ribha Kumari[1]* Dr. Ramesh Kumar[2]

[1] Research Scholar, Department of Education, OPJS, University, Churu, Rajasthan

[2] Director, Department of Education, OPJS, University, Churu, Rajasthan

सार – *शिक्षा एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है जिसका न कोई आदि है न अन्त। मानव जन्म से लेकर अपने अस्तित्व के धूमिल होने तक शिक्षारत रहता है। बस यदि कुछ बदलता है तो वह शिक्षा का स्वरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा इत्यादि किन्तु विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। यह प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने वाली कड़ी है। इस शिक्षा का सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में विशेष महत्व है। किशोर बालक-बालिकाओं में ज्ञानवर्धन के साथ-साथ सामाजिक सद्गुणों का विकास अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के प्रति जागरूकता, आत्म निर्भता और आत्म विश्वास आदि चारित्रिक गुणों का विकास करना माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है। भारत सरकार ने बच्चों एवं उनके अधिकारों के प्रति अपनी वचनबद्धता सुनिश्चित करते हुए बाल अधिकार सम्मेलन पर 1992 में अपनी सहमति व्यक्त की। बाल अधिकार सम्मेलन के अनुसार बच्चों के अधिकार हर प्रकार के भेदभाव (प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचारधाराओं, राष्ट्र, नैतिक या सामाजिक उद्भव, गरीब या अक्षमता, दानों अथवा कोई एक पर आधारित) के विरुद्ध संरक्षित हैं। प्रत्येक बच्चे को जीवन जीने का, बने रहने का एवं विकास का मूलभूत अधिकार है। पर हम सब जानते हैं कि बाल अधिकारों का हनन नियमित रूप से हर जगह हो रहा है - घर में एवं विद्यालय में शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक कष्ट के रूप में, बाल श्रम, बालिका भ्रूण हत्या एवं बलात्कार, अपहरण एवं नशीले पदार्थों की तस्करी आदि।*

----------X----------

परिचय

मानव अधिकार और शिक्षा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। मानव अधिकारों को समाज में स्थापित करने के लिए यह जरूरी है कि मानवीय गरिमा और प्रतिष्ठा के बारे में जन-जागरूकता लाई जाए। जागरूकता और चेतना के लिए शिक्षा ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन है इस दृष्टि से शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ही मानावाधिकारों की शिक्षा भी शामिल है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य और उसका दायरा भी अत्यंत विस्तृत है। इसमें व्यक्तित्व का समग्र विकास सबसे महत्वपूर्ण है। जिसकी परिधि में बैद्धिक, मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास समाहित है। ऐसी शिक्षा ही समाज में शोषण और उत्पीड़न पर रोक लगाने में कारगर सिद्ध हो सकती है। इसी से संवेदना, सहिष्णुता और शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। शिक्षा में सैद्धांतिक पहलुओं के साथ-साथ व्यावहारिक पहलू पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तभी हम जीवन की उन कठोर सच्चाइयों से परिचित हो सकेंगे जिनकी जड़ गरीबी, शोषण और भेदभाव की मानसिकता में है। हमारा कर्तव्य है कि हम नौजवान पीढ़ी को अच्छी संस्कारों और गुणों से पोषित करें।

शिक्षा है मानव अधिकार का अनिवार्य अंग

हम जानते हैं की मानव अधिकारों की शिक्षा, शिक्षा के अधिकार का एक अनिवार्य अंग है तथा हाल के मेसे एक मानव अधिकार के रूप में बड़े पैमाने पर मान्यता दी गई है। अपने तथा दूसरों के अधिकारों और आजादी के ज्ञान को मानवीय प्रतिष्ठा तथा सभी के अधिकारों के सम्मान की गारंटी का मुलभुत साधन माना जाता है। मानव अधिकारों की शिक्षा का मूल भाव यह है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रशिक्षित और व्यावसायिक कामगारों को ही तैयार करना नहीं है बल्कि समाज में परस्पर व्यवहार करने का कौशल रखने वाले व्यक्तियों का विस्कास करने में सहयोग देना भी है। मानव अधिकार शिक्षा का उदेश्य यह है कि विद्यार्थी एवं छात्र समाज में परिवर्तन लाने तथा समाज को साथ लेकर चलने की

www.ignited.in

योग्यता विकसित करें। यह शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बना सके और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पूरी क्षमता के साथ जुड़ सकें। शिक्षा ही लोगों को सशक्त करती है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाती है तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नीतियों की निर्णयात्मक प्रकिया में भागीदारी के लिए उनकी क्षमता में बढ़ोतरी करती है। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानव अधिकारों और मुलभूत स्वंतत्रता के लिए आदर को सुदृढ़ करने पर केन्द्रित हो।

बाल अधिकार

देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु बहुत से कानून हैं जैसे - बाल विवाह (निरोधक) अधिनियम, 1929, बाल श्रम (निरोधन एवं नियमन) अधिनियम 1986य किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000: अनैतिक तस्करी (निरोधक) अधिनियमय प्रसव-पूर्व जाँच (नियंत्रक, निरोधक एवं दुरुपयोग) अधिनियम, 1994 आदि। यह सभी कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों के अधिकार उचित प्रकार सुरक्षित रहें।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में प्रथम बार यह स्वीकार किया गया कि बच्चों के संरक्षण पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक नए कार्यक्रम समन्वित बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme & ICPS) प्रारंभ की गई जो बच्चों की कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा सुनिश्चित करती है एवं उनके प्रति दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण एवं परित्याग की संभावना कम करती है। इस योजना का प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development & MHRD) के महिला एवं बाल विकास विभाग (Department of Women and Child Development & DWCD) द्वारा महिलाओं व बच्चों के संपूर्ण विकास हेतु किया गया। जैसा कि स्पष्ट है, समन्वित बाल संरक्षण योजना बच्चों को कठिन परिस्थितियों में संरक्षण एवं अन्य संभावित परिस्थितियों जैसे गलियों में घूमने वाले बच्चे, बाल श्रम, बलात बाल व्याभिचार, एवं यौन आक्रमण में संरक्षण हेतु सरकार समाज सहयोग आधारित, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 (National Action Plan for Children 2005) भी विकसित की गई है जो 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करती है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का मार्गदर्षक सिद्धांत है कि यह बच्चों को एक संपत्ति एवं मानवाधिकार युक्त व्यक्ति मानती है, एवं यह लिंगभेद, जाति, प्रजाति, धर्म आधारित भेदभाव के विरुद्ध कानूनी स्तर पर समानता सुनिश्चित करती है। इस योजना ने बाल्यावस्था के विभिन्न स्तरों की पहचान की है एवं बाल अधिकारों को शैशवास्था से किशोरावस्था तक सुनिश्चित किया है कि उन्हें माता-पिता द्वारा उचित देखभाल व संरक्षण मिले, वे कुपोषित न हों, किसी भी प्रकार का शोषण न हों एवं वे अपनी अनिवार्य शिक्षा पूरी करें।

महात्मा गाँधी के मानव अधिकार पर विचार

महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद मूल्यों पर आधारित शिक्षा नहीं दी गई तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? उनके शब्द इस प्रकार है-

हमें याद रखना चाहिए लोग स्वंतत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद सुख-शान्ति की तलाश न करने लगे। जब हम स्वंतत्र हो जाते है तो चुनाव व्यवस्था की खामियां, अन्याय, अमीर वर्गों का आंतक तथा प्रशासन को चलाने का दायित्व भी हमारे सामने आना निश्चित है। लोग यह महसूस करने लगगें कि अंग्रेजी के राज में अधिक न्याय था, बेहतर प्रशासन था, शांति थी और स्वंतत्रता के बाद के दिनों की तुलना में पहले के प्रशासकों में बहुत अधिक ईमानदारी थी। यद्यपि स्वंतत्रता का केवल एक लाभ होगा कि हमें दासता से तथा उसके कारण होने वाले अपमान के कलंक से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन, यदि शिक्षा का प्रसार होगा तो आशा बनी रहेगी। इसमें लोगों में अपने बाल्यकाल में शुद्ध आचरण, ईश्वर में विश्वास तथा प्रेम की विसेश्ताओं का विकास होता। स्वराज हमें केवल तभी खुशी दे सकेगा यदि हम इस कार्य में सफलता प्राप्त करे लेंगे। अन्यथा, भारत, घोर अन्याय और शासकों के अत्याचार का घर बन जाएगा। इस सड़ी के महान व्यक्तियों के विचार, समुचित शिक्षा के अधिकार के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।

शिक्षा में मानव अधिकार का उद्देश्य सुख-शान्ति प्राप्त करना है

शिक्षा में मानव अधिकार का उद्देश्य सुख-शान्ति प्राप्त करना है। अतः इसे साक्षरता तक सिमित नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास यानि बौद्धिक, मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक विकास करना है। व्यक्ति को समाज के लिए लाभदायक बनाना होना चाहिए। जब राष्ट्र या समाज पर्याप्त सख्या में इस प्रकार के व्यक्तियों को बनाने

www.ignited.in

में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है, तभी सुख-शान्ति आ पाती है।

सुख-शांति यही है कि युवा चरित्रवान, विद्वान, दृढ़ तथा शक्तिशाली (नैतिक एवं शारीरिक रूप से) हों। तभी संपूर्ण जगत समृद्धि एवं वैभव से युक्त होगा। यह मानव की सुख-शांन्ति का मापदंड है।

यह अध्याय अत्यधिक शिक्षाप्रद है। यह घोषित करता है कि शिक्षा का अर्थ है कि किसी राष्ट्र की वास्तविक सुख-शांन्ति और समृद्धि उचित शिक्षा, जो व्यक्तित्व का समग्र विकास करती है, के माध्यम से सुसज्जित ऐसे मानवों की संख्या के अनुरूप होती है, जो शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक मनोबल से युक्त है।

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मानव अधिकारों पर प्रभाव

औपनिवेशिक शासन से मुक्ति तथा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाने के बाद भी, विश्व के अधिकतर भागों में , हमने मानवधिकारों का गंभीर उल्लंघन देखा है। इसका कारण है राष्ट्रवाद, जातिवाद, विदेशी-द्वेश, कामुकता और सांप्रदायिक असहिष्णुता। यह प्रवत्ति अत्यधिक घृणित रूपों में दिखाई देती है जिनमें महिलाओं अक बलात्कार, शोषण, बच्चों की अवहेलना एवं दुराचार तथा विदेशियों के प्रति तथा विदेशियों द्वारा, शरणार्थियों, विस्थापितों, अल्पसंख्यकों, स्थानीय लोगों, व्यक्तियों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर सतत अत्याचार शामिल है। इसके अलावा नई-जैव चिकित्सा तकनीकों से तथा एचआईवी/एड्स से पर्यावर्णीय विक्रति का खतरा भी है।

मानव-अधिकारों के बढ़ते उल्लंघन को देखते हुए विशेष और पूर्वाभासी शैक्षिक नीतियों की जरूरत है ताकि हिसंक संघर्षों और संबंधित मानव अधिकारों के हनन को रोका जा सके। शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को पोषित करना, उनके लिए संवेदना उत्पन्न करना तथा मानव अधिकारों और लोकतंत्र पर आधारित सामाजिक परिवर्तन लाना होना चाहिए। मानव अधिकारों का प्रभावी प्रयोग, व्यक्तियों में समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पर भी निर्भर है।

वियना में मानव अधिकार पर सम्मेलन

मानव अधिकार संबधी विश्व सम्मेलन की वियना घोषणा में तथा कार्रवाई के कार्यक्रम में (धारा 1 विशेष पैरा 33 में) उल्लेख था कि मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जन-सूचना, समुदायों के बीच मजबूत और सौहार्दपूर्ण संबंधों के संवर्धन एवं प्राप्ति के लिए और आपसी समझदारी, सहिष्णुता तथा शांति के लिए आवश्यक है। सम्मेलन में सिफारिश की गई थी कि राज्य को निरक्षरता के उन्मूलन के प्रयास अवश्य करने चाहिए और मानवीय व्यक्तियों के पूर्ण विकास की ओर तथा मानव अधिकार तथा मुलभूत स्वंतत्रता के लिए आदर की भावना को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा को निर्देशित करना चाहिए। इसने सभी राज्यों एवं संस्थानों से आह्ववान किया गया था कि वे मानव अधिकारों, मानवीय कानून, लोकतंत्र एवं कानून के शासन को, औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी शैक्षणिक संस्थानों के पाठ्यक्रकों में विषयों के रूप में शामिल करें। विश्व सम्मेलन के सुझावों के अनुसरण में, संयुक्त राष्ट्र महासभा कने दिनाक 23.12.1994 की संकल्प संख्या 49/1904 के तहत 1.1.1995 से प्रांरभ होने वाली 10 वर्षीय योजना (मानव अधिकार शिक्षा के लिए यू.एन दशक) घोषणा की।

व्यक्ति तथा समूह में मानव अधिकार शिक्षा का महत्त्व

व्यक्तियों तथा समूहों को मानव अधिकार शिक्षा देने का उद्देश्य यह है कि इससे मानव अधिकारों की अवमानना करने के दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा, साथ ही, समाज की सोच भी बदलेगी। सभी मानव अधिकारों का आदर होगा उअर सभ्य समाज शांतिपूर्ण साझेदारी के आर्दश में रूपांतरित हो जाएगा। मानव अधिकारों के विषय में शिक्षा प्राप्त करना ही अपने-आप में काफी नहीं है बल्कि निश्चय ही मानव अधिकारों के हनन की समाप्ति तथा लोकतंत्र, विकास सहिष्णुता और आपसी आदर पर आधारित शान्ति की संस्कृति का निर्माण करने का एक साधन है। मुलभूत उद्देश्य, मानव अधिकारों की संस्कृति का निर्माण करना उअर लोकतांत्रिक समाज का विकास करना है जो प्रत्येक व्यक्ति और समूहों को अहिंसक एवं सौहार्दपूर्ण तरीकों का उपयोग करते हुए उनके भेड़ों एवं विवादों का समाधान करने में सक्षम बनाए। परिणामस्वरूप, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरों के मानव अधिकारों का आदर करना समाज की संस्कृति बन जायेगी तथा विकसित समाज का मार्ग प्रशस्त होगा।

हमें हमेशा यह ध्यान में रखना होगा कि मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन मुलभूत उद्देश्य है तथा यह मनुष्य की भलाई के लिए है। समाज को सुग्राहीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया से एवं मानव अधिकारों संबधी जागरूकता फैलाने से पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहिए। महाविद्यालय स्तर को प्रतिपादित करने समय हमने इस दृष्टि से भी ध्यान दिया है।

साहित्य की समीक्षा

मानवाधिकारों पर भारत में किये गये अध्ययन-

नारायण, ऊषा (1966): शिक्षा और संस्कृति की एशिया एकेडमी शिक्षा और संस्कृति विकास,मानवाधिकारों व शिक्षा पर कार्य करने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में काम कर रही है। एशिया एकेडमी शिक्षा विभाग, रोटरी क्लब (भोपाल) को सहयोग देती है।इसके द्वारा कुछ चुने हुए विद्यालयों व जिलों में वाद-विवाद, प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। तीस शोध पत्र जो कि मानवाधिकारों की यू एन.चार्टर की घोषणा से सम्बन्धित थे, एशिया एकेडमी के द्वारा प्रसारित किये गए। ये शोध पत्र मध्यप्रदेश में महिलाओं बच्चों एवं अन्य नागरिकों के मानवाधिकारों पर आधारित थे तथा लगभग सभी ने मानवाधिकारों की स्थिति को गम्भीर बतातें हुए इस क्षेत्र में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता बताई गई।

भद्रामणि, जी (1991): पनिशमैन्ट एण्ड चिल्ड्रन्स एटिट्यडू टूवर्ड्स स्कूलिंग: इफैक्ट एम्पैथिक इंटरनेशनल, एम. फिल. मनोविज्ञान, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय।

1. बहे तर परिणामों के लिए शिक्षकों द्वारा दिये जाने वाले दण्ड का छात्रों के विद्यालय जाने व अध्ययनरत् रहने की प्रवृत्ति पर प्रभाव जानना।

2. यह जानना कि क्या बच्चों के स्कलू जाने व अध्ययनरत् रहने की प्रवृत्ति में मानव संसाधान विकास प्रतिमान पर आधारित सीखने की सरलता हेतु सहिष्णुता की नीति के सकारात्मक प्रभाव पड़ते है।

चैरसिया, गुलुलाब (1996): यह पपेर डॉ. गुलाब चैरसिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उन्होंनें मानवाधिकारों की विभिन्न शाखाओं पर चर्चा की। शोध पत्र में शिक्षा में मानवाधिकारों की आवश्यकता पर बल दिया एव कहा कि वर्तमान भारत में मानवाधिकार शिक्षा एक महती आवश्यकता बन गयी है तथा इसे शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रम का अनिवार्य अगं बनाया जाना चाहिए।

गलानी, एच. एल. (2003): ह्यमू न राइट्स ऑफ़ चाइल्ड एण्ड ए नीड फॉर द अबालेशन ऑफ़ चाइल्ड लेबर: एन एनेलिटिकल स्टेडी विद रेफरेन्स टू ह्यूमन राइट्स कन्सन्ट्स, पीएच. डी. स्तर शोध कार्य, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, गुजरात। उक्त शोध कार्य में भारत में बच्चों के अधिकारों तथा बालश्रम उन्मूलन पर आधारित अध्ययन किया गया था। जिसमें भारत में बच्चों के प्रति हो रहे अमानविय व्यवहार को इंगित करते हुए उन्हें उनके अधिकार दिलाने तथा बाल श्रम कि कुप्रथा को दूर करने हेतु सुझाव दिये गये थे।

किश्वर, मधु (2003): ऑफ़ द बीटन ट्रैक: रिथिंकिंग जेण्डर जस्टिस फॉर इण्डियन वूमन, ऑक्सफार्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दहे ली। उपरोक्त निबन्धावली में विवाह चुकारे दहजे, अनचाही पुत्रियों स्त्रियों के उत्तराधिकार, भूमि अधिप्राप्ति अधिकारों का निषेध, प्रमे प्रसगं, नारीत्व और विवाह, नारियों की प्रताड़ना, नारीत्व की पहचान, सौन्दर्य प्रतियोगिता आदि पर लेख प्रस्तुत किए गए हैं ये लेख भारतीय समाज में मानवधिकारों विशेषतः महिलाओं की ज्वलंत एवं सर्वाधिक चिन्तनीय समस्याओं से जुझने का समुचित प्रयत्न है।

गुप्ता, सराजे (2007): ए स्टेडी ऑफ़ द स्टेटस ऑफ़ ह्यमू न राइट्स एजूकेशन एण्ड मजे र्स टू प्रमोट अवेयरनेस थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल। उक्त अध्ययन में शिक्षण संस्थाओं की मानवाधिकारों के सवंर्धन के प्रति भूमिका तथा मानवाधिकारों की स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया तथा पाया कि वर्तमान में मानवाधिकारों के स्तर में सुधार की आवश्यकता है तथा शिक्षण संस्थान इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

वाजपेयी, सुनील (2000) ने "एन.सी.सी. के प्रति आदिवासी विद्यार्थियों की अभिवृत्ति का अध्ययन" किया एवं निष्कर्ष में पाया कि गैर आदिवासी विद्यार्थियों में एन.सी.सी. प्रशिक्षण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति अधिक पायी गई। शहरी विद्यार्थियों एन.सी.सी. प्रशिक्षण के प्रति अभिवृत्ति ग्रामीण विद्यार्थियों से अधिक ज्ञात हुई अर्थात क्षेत्रीयता का प्रभाव एन.सी.सी. प्रशिक्षण पर पड़ता है। छोटी आयु के विद्यार्थियों में एन.सी.सी. प्रशिक्षण के प्रति अभिवृत्ति बड़ी आयु के विद्यार्थियों से सार्थक रूप से कम पायी गई है। इस प्रकार आयु का प्रभाव एन.सी.सी. प्रशिक्षण पर पड़ता है। एन.सी.सी. प्रशिक्षण के प्रति अभिवृत्ति पर बडे एवं छोटे परिवार के आकार का कोई सार्थक प्रभाव नही पड़ता है। एन.सी.सी. प्रशिक्षण की अभिवृत्ति पर परिवार के शिक्षित होने या अशिक्षित होने का प्रभाव पड़ता है।

पुरोहित, नीतू एवं मेहता, मन्जू (2002) ने "किशोर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं माता-पिता के व्यवहार सम्बन्धों का अध्ययन" विषय पर शोधकार्य किया तथा निष्कर्ष रूप में पाया कि बाह्य प्रवृतियों तथा सामाजिक व्यवहार दोनों पर माता-पिता के व्यवहार का प्रभाव पड़ता है तथा विद्यार्थियों की बाह्य प्रवृत्तियों पर दण्ड एवं प्रोत्साहन

www.ignited.in

का सार्थक प्रभाव पड़ता है। समायोजन 13-14 वर्ष की आयु वाले किशोरी में अलगाव में सार्थक अन्तर पाया गया। जिसके मुख्य पक्ष को बहिर्मुख, गृह आत्मनियन्त्रण 16-17 वर्ष के उच्च अलगाव और निम्न अलगाव वालों में इन बिंदुओं पर अन्तर पाया गया। मनःस्ताप, सौन्दर्य मूल्य और ग्रह समायोजन सम्पूर्ण न्यादर्श और उपवर्गों में सभी चरों पर अलगाव में एक-दूसरें से सकारात्मक सहसम्बन्ध पाया गया

अध्ययन के उद्देश्य:

1. ग्रामीण एवं नगरीय लोगों मे सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारों के प्रति संचेतना का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

2. ग्रामीण एवं नगरीयों में व्याप्त रूढिवादिता एवं अन्धविश्वास का वास्तविक मूल्यांकन करना।

3. उच्च जाति, पिछडे वर्ग एवं अनुसूचित जातियों का सामाजिक एवं संवैधानिक अधिकारो के प्रति संचेतना का तुलनात्मक अध्ययन।

4. बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, पोषण एवं निरोधनका वास्तविक मूल्यांकन करना

बाल अधिकार योजनाएँ

राज्य में अन्य बहुत-सी योजनाएँ हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी रूप में बाल अधिकारों का हनन न हो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा पोषित बाल बंधु परियोजना, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 2010 में प्रारंभ की। यह एक ऐसी परियोजना है जिसका लक्ष्य सामुदायिक दंगों या उपद्रव से पीड़ित बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है। वर्तमान में यह परियोजना पाँच राज्यों - आंध्र प्रदेष, बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में लागू हैं। बिहार राज्य में यह परियोजना पश्चिमी चम्पारण जिले में पथाई एवं रोहतास प्रखंड, एवं श्योहर जिले के लियानी एवं जमुई खैरा प्रखंड में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदाय के कुछ युवाओं को स्वयंसेवी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है। ये युवा स्वयंसेवी मुख्यतः सुदूर क्षेत्रों के जनजातीय परिवारों के बच्चों के नामांकन की जिम्मेदारी निभाते हैं। बाल बंधु बच्चों तक शिक्षा की पहुँच, स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा उपायों को पहुँचाते व प्रशिक्षित करते हैं। वे समुदाय को गतिशील बनाने में भूमिका निभाते हैं। उदाहरणार्थ पश्चिमी चम्पारण जिले के पथाई प्रखंड में 116 आँगनवाड़ी केन्द्र जनवरी, 2011 से पहले निष्क्रिय थे पर इनके प्रयासों से वे सक्रिय हुए तथा अब छः वर्ष से कम आयु के 4000 बच्चों को लाभ दे रहे हैं।

बाल अधिकार संरक्षण की कार्य प्रणाली (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरों पर)

बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रयासः बाल सखा बाल सखा, बिहार राज्य में बाल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन है। यह संगठन 1988 में बिहार राज्य में एक सामाजिक कार्यकर्ता श्री सनत कुमार सिन्हा ने बिहार के सरकारी गष्हों में रह रहे बच्चों के अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रारंभ किया। संगठन संरक्षण के मुद्दों पर दो स्तरों पर कार्य करता है - पहला सीधे सामुदायिक हस्तक्षेप द्वारा तथा दुसरा - स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रचार माध्यमों व सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी व गतिशीलता द्वारा। 2002 में बाल सखा ने बिहार में किशोंरों की वास्तविकता जानने के लिए एक राज्य स्तरीय अध्ययन किया तथा बहुत-सी कमियाँ पाईं। अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि विगत 10 वर्षों से 90 प्रतिशत किशोंरों के मुकदमे अदालत में पड़े हैं। इसने पटना, मुंगेर व भागलपुर जिलों के दस गाँवों में समुदाय को बाल अधिकार उल्लंघन रोकने हेतु गतिशील किया। विगत दस वर्षों में बाल सखा ने शिक्षा के अधिकार संबंधी मुद्दों पर सामुदायिक गतिशीलता, निजी विद्यालयों में श्रवण तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत गरीब बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश के लिए शिक्षकों से विचार-विमर्श पर ध्यान केन्द्रित किया है।

बच्चों के अधिकार पत्र

1. वह सभी व्यक्ति एक बच्चा है जो 18 वर्ष से कम आयु का है। अभिभावकों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे बच्चों के पोषण और विकास कार्य पर ध्यान दें। राज्य बच्चों के अधिकार का सम्मान करेगी और उसे सुनिश्चित कराएगी।

2. देश में निर्मित तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बने कानूनों को भारत में स्वीकार किया गया है, उसके अन्तर्गत निर्धारित मानक और अधिकारों को पाने का अधिकार उन सभी व्यक्तियों को है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ अधिकार निश्चित किये गये है जिसे

विशेष रूप से उनके लिए संविधान में शामिल किया गया है। वे अधिकार इस प्रकार हैं -

3. 6 से 14 वर्ष के आयु समूह वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 ए)

4. 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 24)

5. आर्थिक जरूरतों के कारण जबरन ऐसे कार्यों में भेजना जो उनकी आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं हैं, उनसे सुरक्षा का अधिकार (अनूच्छेद 39 ई)

6. समान अवसर व सुविधा का अधिकार जो उन्हें स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठापूर्ण माहौल प्रदान करे और उनका स्वतंत्र रूप से विकास हो सके। साथ ही नैतिक एवं भौतिक कारणों से होने वाले शोषण से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 39 एफ) साथ ही उन्हें भारत के वयस्क पुरूष एवं महिला के समान नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे -

7. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)

8. भेदभाव के विरूद्व अधिकार (अनुच्छेद 15)

9. व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की सम्यक् प्रक्रिया का अधिकार (अनुच्छेद 21)

10. जबरन बँधुआ मजदूरी में रखने के विरूद्व सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 23)

11. सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 46)

मूल अधिकारों

मुझे अपने अधिकार के बारे में जानने का अधिकार है। (अनुच्छेद-42)

मुझे एक बच्चा होने का अधिकार है। इसके लिए यह बात मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरे माता-पिता क्या करते हैं, मैं कौन सी भाषा बोलता हूँ, मैं किस धर्म का पालन करता हूँ, मैं एक लड़का हूँ या एक लड़की, मैं किस संस्कृति का पालन करता हूँ, चाहे मैं अपंग हूँ और मैं एक अमीर या गरीब बच्चा हूँ। इन आधारों पर मेरे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह इसे जानें। (अनुच्छेद- 2)

मुझे अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह दूसरे व्यक्ति को ध्यान से सुनें। (अनुच्छेद- 12 व 13)

मुझे गलती करने का अधिकार है और सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि उसे स्वीकार करें। हमलोग अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। (अनुच्छेद- 28)

मुझे अधिकार है कि मेरी क्षमता कुछ भी होने के बावजूद मुझे शामिल किया जाए और सभी व्यक्तियों की जिम्मेदारी है कि वह दूसरे व्यक्ति (भले ही उसकी क्षमता उसके समान नहीं हो) उसका सम्मान करें। (अनुच्छेद- 23)

बालक:- अन्तर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार 'बच्चे' का मतलब वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। यह विश्व स्तर पर बालक की परिभाषा है जिसे बाल अधिकार पर सयुंक्त संयोजन (यूएनसीआरसी, अन्तराष्ट्रीय कानूनी संस्था) में स्वीकार किया गया है और जिसे दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा मान्यता दी गई है। भारत ने हमेशा से 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को एक अलग कानूनी अंग के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि भारत में 18 वर्ष की उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है, ड्राईविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी को बाल-विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 के अन्तर्गत निशिद्व किया गया है। यद्यपि 1992 में यूएनसीआरसी को स्वीकार करने के बाद भारत ने अपने बाल कानून में काफी फेरबदल किया है उसक अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, वह राज्य से उस प्रकार की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। भारत में कुछ और कानून हैं जो बालकों को अलग ढग से परिभाषित करते हैं। लेकिन अब यूएनसीआरसी के प्रावधानों के अनुरूप उसमें बदलाव लाकर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य में अध्यापकों के अपने अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति को जानकर उन्हे इसके प्रति जागरूक करने हेतु

www.ignited.in

अभिप्रेरित करने का एक सूक्ष्म प्रयास किया गया है। साथ ही अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर संरचनात्मक परिवर्तन को एक नई दिशा प्रदान करने का प्रयास किया जा सकेगा। वर्त मान समय में विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज के विभिन्न वर्गों को बालकों के अधिकारों को प्रति संवेदनशील व सकारात्मक होने की आवश्यकता है। सम्भवतः इस प्रकार के शोध कार्य इस क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य करेंगे। शोधकत्र्ता इस प्रकार की समस्याओं पर भविष्य में निरन्तर कार्य करने का प्रबल इच्छुक है। शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर उर्ध्वगामी विकास हो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का पहचान कर उनके कारणों एवं तथ्यों की खोज की जाये।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चौहान, एस.एस. (1998). उच्च शिक्षा मनोविज्ञान विकास. नई दिल्लीः पब्लिशिंग पृ.सं.

2. भद्रारामणि, जी (1991): पनिशमैन्ट एण्ड चिल्ड्रन्स एटिट्यडू टूवर्ड्स स्कूलिंग: इफैक्ट एम्पैथिक इन्टरवेन्शन, एम. फिल. मनोविज्ञान, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय। पृष्ठ संख्या-51

3. कपिल, एच के. (1979). अनुसंधान विधियाँ आगराः द्वितीय संस्करण. हरिप्रसाद भार्गवहाऊस. पृष्ठ संख्या-23

4. कोठारी, सी.आर. (2008). अनुसंधान विधिशास्त्र विधियाँ और तकनीकी, आगराः न्यूरोजइन्टरनेशनल लिमिटेड पब्लिकेशन कारपोरेशन. पृष्ठ संख्या-2

5. खान, ए.आर. (2005). जीवन कौशल शिक्षा. अजमेरः राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्डप्रष्ठ संख्या-14

6. गुप्त, नत्थूलाल (2000). मूल्य परक शिक्षा और समाज. नई दिल्लीः नमन प्रकाशन पेज-

7. गौड़ अनिता (2005). बच्चों की प्रतिभा कैसे निखारे, नई दिल्लीः राज पाकेट बुक्सपृष्ठ संख्या-14

8. चतुर्वेदी, त्रिभुवननाथ (2005). पारिवारिक सुख के लिए हैः किशोर मन की समझ.नई-दिल्लीः श्रीविजय इन्द्र टाइम्स अंक-8, पृष्ठ संख्या-25

9. चैबे, सरयू प्रसाद (2005). शिक्षा मनोविज्ञान. मेरठः इण्टरनेशनल पब्लिकेशन हाऊस. पेज न.184

10. चौहान, एस.एस. (1996). सर्वांगीण बाल विकास. नई दिल्लीः करोल बाग. आर्य बुक डिपो. पेज प. 591

11. गुप्ता, सराजे (2007) शिक्षा मनोविज्ञान. नई दिल्लीः करोल बाग. आर्य बुक डिपो मंदिर पेज

12. वाजपेयी, सुनील (2000) शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र. जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी. पृष्ठ संख्या-51

13. नारायण, ऊषा (1966). शिक्षा मनोविज्ञान. आगराः विनोद पुस्तक मन्दिर. पृ.सं. 245,552,450

14. पुरोहित, नीतू एवं मेहता, मन्जू (2002) उदीयमान भारतीय समाज एवं शिक्षा. जयपुरः शिक्षा प्रकाशन. पेज 22

Corresponding Author

Ribha Kumari*

Research Scholar, Department of Education, OPJS, University, Churu, Rajasthan